



11/11/2022

फर्द-अहकाम

{नियम-26}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-केकड़ी(राज0)

प्रकरण संख्या-14/2025

मेमा उषे सुरमा वर्ग:..... बनाम रामदेव पुत्र भाद्रु वर्ग:.....

अन्तर्गत धारा:- O.9 R.9 C.P.C. संप्रति धारा 151 CPC
हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

वकील वादी/प्राथी उपरिथत। प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी/अप्राथीगणों के विरुद्ध नोटिस/सम्मन जारी किए जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक.....21/11/2025 को वास्ते तलबी रिपोर्ट पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय

21/11/25

पत्रावली पेश हुई वकील प्राची श्री सोवरलाल चौधरी उपस्थित हैं। पत्रावली के अर्थात् से. 1 की तलबी बाबत जारी नोटिस लेने से प्रक डिफ रिप्पनी के साथ प्राप्त हुई। अतः अर्थात् से. 1 की तलबी पूर्ण मानी जाती है। पेशकार सरकार डप/अर्थात् से. 1 की निपमाबुला नमिली के उपरान्त भी अर्थात् से. 1 अनु. हैं। इनकी आर से कोई भी वकील उपस्थित नहीं। बार-बार अवाजुा लगाई गई परन्तु न्यायालय संपु तक कोई भी उपस्थित नहीं हैं। अतः अर्थात् से. 2 के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अकल के लई जाती है। पेशकार सरकार द्वारा पत्रावली अन्तर्गत O.9 R.9 C. संप्रति धारा 151 CPC के अर्थात् उक्त नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस निपत की जाती है। वकील प्राची द्वारा बहस बाबत निवेदन किया गया। वकील प्राची द्वारा बहस निवेदन किया गया कि अधिकतर कि अन्य न्यायालय में बहस होने तक प्राची के घर पर प्रति आकशपत्र कार्य होने से दिनांक 11/9/2024 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। पत्रावली के सम्बंध में जानकारी लेते ही प्राची द्वारा नकल प्राप्त कर जानकारी पर वास्ते रेकॉर्ड अविलम्ब पेश किया गया है।

लजाता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)
 प्रकरण संख्या- /

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

अंतर-सीमाना के निवेदन है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के तहत प्राचीन का प्रायोजन पर एपीकार किया जाकर मूल वाद की नब्बल पर लिखा जाये, वकील प्राचीन को सुना गया/पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया, बहस प्राचीन अधिकार पर मनन किया गया। वाद उक्त अवलोकन तथा मनन प्राप्त गया कि प्राचीन को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत प्राचीन को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना उचित है/अंतर अपना पक्ष रखने के प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त का सम्भाग करते इसे वकील प्राचीन द्वारा प्रस्तुत जवाब 09/10/2017 सपडित धारा 151 CPC को एपीकार किया जाकर मूल वाद उल्लेख सीमा बनाम रामदेव को रैस्केट किया जाकर पुनः कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। मूल वाद में आगामी तारीख 21/03/25 निपट की जाती है। पत्रावली केवल शुभारंभ हेतु नब्बल से कम लेकर दायित्व दस्तान्त है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)